

28/4

28/4/20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

1. राज कंवर पत्नि श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

27/5/20

8/7/20

प्रार्थी 21/2/20

10/1/20

11/1/20

10/1/20

28/4/20

25/4/20

बनाम

1. गणेशी पत्नि श्री करतार जाट जाति जाट निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

अप्रार्थीगण

किसम मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) सी0 पी0 सी0

नंबर

240 / 2019


2020 / 00308

ऑन लाईन नंबर

2019 / 00240

वकील प्रार्थी श्री कुश कुमार

वकील अप्रार्थीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.10.2019	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री कुश कुमार द्वारा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) सी0पी0सी0 के तहत वास्ते न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 163/2019 में दिनांक 17.07.2019 को न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की अप्रार्थीगण द्वारा अवमानना कारित करने बाबत प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 06.11.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  किशनगढ़ (अजमेर) </p>	
6/11/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 की तामील कुनिदा रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण ने नोटिस लेने से मना किया तथा तामील कुनिदा ने नोटिस खुले मकान पर परचा किया एवं गवाही ने गवाही से मना किया। जिसकी रिपोर्ट पत्रावली के साथ संलग्न कि गई। अतः अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है एवं अप्रार्थी सं. 9 के तामील हुक्म।</p>	

